

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 21.11.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा लेने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 591/25 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम जेल रोड बाईपास पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2025 को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि डिसेन्ट हास्पिटल के संचालक, एपेक्स हास्पिटल के संचालक व कर्मचारियों द्वारा मरीज को बिना अस्पताल में भर्ती किये हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा अवैध व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बीमा कम्पनी से लिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ऋषभ सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम जेल रोड बाईपास पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 591/2025 धारा 318(4),119(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. का0अतुल रजक थाना रामगढ़ताल गोरखपुर